रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062024-254539
CG-DL-E-04062024-254539

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2074]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2024/ज्येष्ठ 14, 1946
No. 2074]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2024/JYAISHTHA 14, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2024

का.आ. 2173(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बॉटल्ड वाटर डिस्पेन्सर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या लोप की जाने वाली चीजों को छोड़कर, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एत्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को बॉटल्ड वाटर डिस्पेन्सर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा (2) के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत परिभाषित, क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) के अंतर्गत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बॉटल्ड वाटर डिस्पेन्सर्स	17681 : 2022	बॉटल्ड वाटर डिस्पेन्सर्स	1 जुलाई, 2024	1 अक्तूबर, 2024	1 जनवरी, 2025

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/17/2023– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 2024

S. O. 2173(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Bottled water dispensers (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Bottled Water Dispensers (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. **Certification and enforcement authority**.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. **Penalty for Contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

S. No.	Good or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of Implementation for Small Enterprises	Date of Implementation for Micro Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bottled Water Dispensers	17681: 2022	Bottled Water Dispensers	1st July, 2024	1st October, 2024	1st January, 2025

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply

[F. No. P-29026/17/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.06.04 20:12:25 +05'30'